



**THE**  
**JHARKHAND GAZETTE**  
**EXTRAORDINARY**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**No. 418**

**7 Baishakh, 1941(S)**

**Ranchi, Tuesday, 28<sup>th</sup> May, 2019**

**COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

-----  
**Notification**

**28<sup>th</sup> May, 2019**

**File No- Va0 Kar/GST/16/2017**

**Removal of Difficulty Order No. 05 State Tax**

**S.O. No. 55 Dated- 28<sup>th</sup> May, 2019** --WHEREAS, sub-section (2) of section 29 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the 'JGST Act') provides for cancellation of registration by proper officer in situations described in clause (a) to clause (e) as under: -

- (a) a registered person has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder as may be prescribed; or
- (b) a person paying tax under section 10 has not furnished returns for three consecutive tax periods; or
- (c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for a continuous period of six months; or
- (d) any person who has taken voluntary registration under sub-section (3) of section 25 has not commenced business within six months from the date of registration; or
- (e) registration has been obtained by means of fraud, willful misstatement or suppression of facts:

Provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard.

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 169 of the JGST Act provides for service of notice (opportunity of being heard); clause (c) and (d) of said sub-section are as under: -

.....

- (c) by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time; or
- (d) by making it available on the common portal; or

.....

AND WHEREAS, sub-section (1) of Section 30 provides for revocation of cancellation of the registration within thirty days from the date of service of the cancellation order.

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 107 of the JGST Act provides for filing appeal by any person aggrieved by any decision or order passed by an adjudicating authority within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person and sub-section (4) of section 107 of the JGST Act empowers the Appellate Authority that it may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months, allow it to be presented within a further period of one month.

AND WHEREAS, a large number of registrations have been cancelled under sub-section (2) of section 29 of the JGST Act by the proper officer by serving notices as per clause (c) and clause (d) of sub-section (1) of section 169 of the JGST Act and the period of thirty days provided for revocation of cancellation order in sub-section (1) of section 30 of the JGST Act, the period for filing appeal under section (1) of section 107 of the JGST Act and also the period of condoning the delay provided in sub-section (4) of Section 107 of the JGST Act has elapsed; the registered persons whose registration have been cancelled under sub-section (2) of section 29 of the JGST Act are unable to get their cancellation of registration revoked despite having fulfilled all the requirements for revocation of cancellation of registration. GST being a new Act, these taxpayers were not familiar with the manner of service of notice by e-mail or making available at portal in comparison to earlier regime where manual service of notice was provided, as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of sub-section (1) of section 30 of the JGST Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017, the Government of Jharkhand, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

Short title.—This Order may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Fifth Removal of Difficulties) Order, 2019.-

In sub-section (1) of section 30 of the said Act, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the registered person who was served notice under sub-section (2) of section 29 in the manner as provided in clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 169 and who could not reply to the said notice, thereby resulting in cancellation of his registration certificate and is hence unable to file application for revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of section 30 of the Act, against such order passed up to 31.03.2019, shall be allowed to file application for revocation of cancellation of the registration not later than 22.07.2019.”.

**Prashant Kumar,**  
Secretary-cum-Commissioner.

-----

## वाणिज्य-कर विभाग

-----  
अधिसूचना

28 मई, 2019

संचिका संख्या-वा०कर/GST/16/2017

### कठिनाइयों को दूर करने का आदेश सं. 05 - राज्य कर

एस. ओ. सं- 55 दिनांक 28 मई, 2019- (अ). - झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्त 'जेजीएसटी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 29 की उप-धारा (2), खंड (क) से खंड (ड) में वर्णित परिस्थितियों में उचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का उपबंध करती है जो इस प्रकार से हैं, जहां: -

- (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है जो विहित किए जाएं; या
- (ख) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या
- (ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या
- (घ) किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारम्भ नहीं किया है; या
- (ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है:  
परंतु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा।

और, जेजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) नोटिस की तामील (सुनवाई का अवसर) के लिए उपबंध करती है; उक्त उप-धारा के खंड (ग) और (घ) निम्न प्रकार से हैं :-

- (ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर संशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा; या
- (घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा; या

-----

और, धारा 30 की उप-धारा (1) रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए उपबंध करती है।

और, जेजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति के द्वारा, उस तारीख से जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील फ़ाइल करने का उपबंध करती है और जेजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) अपील प्राधिकारी को सशक्त करती है कि, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, अपीलकर्ता तीन मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों

से निवारित किया गया था तो, वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

और, जेजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अनुसार उचित अधिकारी द्वारा नोटिस तामील के द्वारा जेजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन बड़ी संख्या में रजिस्ट्रीकरण रद्द हुए हैं और जेजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में रद्दकरण आदेश के प्रतिसंहरण के लिए उपबंधित तीस दिन की अवधि, जेजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फ़ाइल करने की अवधि और जेजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) में विलंब के लिए क्षमा की अवधि भी व्यपगत हो गई है; रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके रजिस्ट्रीकरण जेजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन रद्द हो चुके हैं, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के बावजूद अपने रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कराने में असमर्थ हैं। जी एस टी के एक नया अधिनियम होने के चलते, ये करदाता पहले की व्यवस्था की तुलना में, जहां नोटिस की तामील हाथ से होती थी, ई-मेल द्वारा या पोर्टल पर उपलब्ध कराये गए नोटिस की तामील की रीति से परिचित नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप जेजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं;

अतः अब, झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम - इस आदेश का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (कठिनाइयों को दूर करना-पांचवां) आदेश, 2019 है।

उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ परंतु यह कि, वह व्यक्ति जिसे धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति से धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन नोटिस तामील हुई थी और जो उक्त नोटिस का उत्तर नहीं दे सका है, जिसका परिणाम उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण है, और इसलिए वह तारीख 31.03.2019 तक पारित ऐसे आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फ़ाइल करने में असमर्थ है, उसे 22.07.2019 तक रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फ़ाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।”।

**प्रशांत कुमार,**  
सचिव-सह-आयुक्त

-----